# न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

मिसल न0– 2766 / 2025

अनवान :–

1. बिरजू सिह पुत्र सोहन सिह जाति राजपुत निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।

सायल

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
2. रेन्जर वन विभाग नोहर तहसील नोहर।

गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0 काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता सायलान

निर्णय दिनांक : 29/05/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान क्रश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की रोही रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खाता सं. 2 के साबिका ख.न. 20 मीन की 30 बीघा भूमि साबिका ख.न. 123 मीन की 40 बीघा भूमि, साबिका ख.न. 149 की 3 बीघा भूमि कुल 79 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है जिसके आसजी पुत्र बिडद जी जाति राजपुत निवासी भावलदेसर तहसील नोहर खातेदार काश्तकार थे। रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के साबिका ख.न. 123 मीन की 40 बीघा भूमि ख.न. 144 की 9.15 बीघा भूमि गंत भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा हाल ख.न. 159 की 19.6 बीघा भूमि हाल ख.न. 90 की 3.13 बीघा भूमि में परिवर्तित एवं पैमुद कर दी गई।

आसजी पुत्र बिडद जी जाति राजपुत निवासी भावलदेसर तहसील नोहर फौत हो चुके है तथा उनकी फौतगदी के बाद उनके दो पुत्रगण सोहनसिह एवं देवीसिंह फौत हो चुके है तथा सोहनसिंह के वारिसान चतरसिंह एवं उम्मेदसिंह फौत हो चुके है. एवं चतरसिंह के वारिसान दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 4 व 5 है. एवं उम्मेदसिंह का वारिसान दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादी सं. 6 प्रमोद सिंह है तथा वादग्रस्त भूमि के वे विधिक उतराधिकारी है। गत भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा वादग्रस्त भूमि हाल ख.न. 159 की 19.6 बीघा भूमि ख.न. 90 की 3.13 बीघा भूमि में परिवर्तित एवं पैमुद हो चुकी है जबकि वादग्रस्त भूमि सम्बत 2010 से 2013 में आसजी पुत्र बिडदसिंह जाति राजपुत के कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा उनकी फौतदगी के बाद उपरोक्त कृषि भूमि उनके वारिसान के कब्जा काश्त में चली आ रही है परन्तु भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा किया गया अधिकाश वाद भूमि में गोचर दर्ज कर दिया गये है परन्तु भू–प्रबन्धक विभाग बिना अधिकार वाद भूमि गै.मु. गोचर को दर्ज करने का कोई अधिकार नही है केवल मात्र अधिकार इन्ट्री रिपिट करने का एवं वर्तमान वाद भूमि वन वांद भूमि वन विभाग मरूस्थल वन रोपण चारागाह हेतु रखी गई जो बिना किसी अधिकार दर्ज की गई है तथा इसलिए रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के ख.न. 159 की 19.6 बीघा भूमि हाल ख.न. 90 की 3.13 बीघा भूमि गै.मु. गोचर कलमजन किया जाकर सायल व दावा में दर्ज तरतीबी गैरसायलान के ब.हि.ब. दर्ज करवा पाने के अधिकारी है इन्ही आश्यों की सायल न्यायलय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वाद भूमि जो सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण के सम्बत 2010 से 2013 लेकर आज तक कब्जा काश्त में चली आ रही है लेकिन भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा गोचर दर्ज कर देने से अब प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण को वाद भूमि से जबरिया बेदखल करने पर आमादा है अगर गैरसायलान अपने उपरोक्त मकसद मे कामयाब हो जाते है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी।

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

इसलिए सायल गैरसायलान सं. 1 व 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवा पाने का मजाज है कि प्रतिवादीगण वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण को सम्बत 2010 लेकर आज तक कब्जा काश्त में चली आ रही है भूमि जरिया बेदखल करने से निषिद्ध रहे एवं कब्जा काश्त में मदाखलत बैजा ना करे एवं मौका यथास्थिति बनाये रखे।

प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन व साम्य न्याय व प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त सायल के पक्ष मे है। लिहाजा यह प्रार्थना–पत्र मय हल्फनामा सायल पेश कर निवेदन है कि ताफैसला दावा गैरसायलान के खिलाफ इस अमर की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के ख.न. 159 की 19.6 बीघा भूमि हाल ख. न. 90 की 3.13 बीघा भूमि से सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण को गैरसायलान सं. 1 व 2 जबरिया बेदखल करने से निषिद्ध रहे एवं कब्जा काश्त में मदाखलत बैजा ना करे एवं मौका यथास्थिति बनाये रखे।

सायला का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया गया।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वन विभाग हेतु आरक्षित दर्ज है एवं प्रार्थीगण द्वारा वन विभाग/सरकार को पाबन्द करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है लेकिन वन/सरकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29/05/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर